

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार RAS .

राजस्व मूल वाद संख्या:- 47 / 2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.खीयाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम		01.मोतीराम पुत्र स्व0 श्री सालगराम
02.बेनाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम		02.भीयाराम पुत्र स्व0 श्री सालगराम जाति
03.भंवराराम पुत्र स्व0 श्री हडमानराम जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		03.राजस्थान राज्य जाशिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा ,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति -

- 01.वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घनराज चौधरी अनिल राठी उपस्थित
- 02.प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित

आदेश

दिनांक 03/01/2023

वादी का वाद अन्तर्गत धारा ,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 05.08.2022 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 385 कुल रकबा 2.3715 हैक्टर खसरा नम्बर 461 रकबा 0.3642 हैक्टर ग्राम नारनाडी तहसील झंवर वादीगण एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 25.08.2022 मय मौका फर्द दिनांक 03.06.2022 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलान पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार।

क.स ए:-खाता संख्या 01.

01.खीयाराम पुत्र स्व0 रावतराम के कायम मुकाम

- 1/1.ओमाराम पुत्र स्व0 खीयाराम का हिस्सा 1/9
- 1/2.राजूराम पुत्र स्व0 खीयाराम का हिस्सा 1/9
- 1/3.सुमैर पुत्र स्व0 खीयाराम का हिस्सा 1/9

02.बेनाराम पुत्र स्व0 रावतराम का हिस्सा 1/3

03.भंवराराम पुत्र स्व हडमानराम का हिस्सा 1/3 जाति जाट सा देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
461 / 1	0.15 बीघा	बारानी प्रथम	0.33
385 / 1	6.03 बीघा	बारानी प्रथम	2.70

कुल खसरा (02) 6.18 बीघा 1.1169 है, बारानी प्रथम 3.03



(Signature)

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,

लूणी

स बी- खाता संख्या 02

01. मोतीराम पुत्र स्व0 सालगराम के कायम मुकाम
1/1.भगीरथ पुत्र मोतीराम का हिस्सा 1/8
1/2.गोपाराम पुत्र मोतीराम का हिस्सा 1/8
1/3.सुखाराम पुत्र मोतीराम का हिस्सा 1/8
1/4. प्रमाराम पुत्र स्व0 मोतीराम के कायम मुकाम
1/4/1. श्रीमती सुगना देवी पति प्रमाराम का हिस्सा 1/16
1/4/2. सुरेश पुत्र प्रमाराम का हिस्सा 1/16

02.भीयाराम पुत्र स्व0 सालगराम का हिस्सा 1/2 जाति जाट सा,वेह, खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
461	1.10 बीघा 0.2428 है,	बारानी प्रथम	0.66
385	8.10 बीघा 1.3759 है,	बारानी प्रथम	3.75

कुल खसरा 02 10.00 बीघा 1.6187 है, बारानी प्रथम 4.41

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा। एव वादी व प्रतिवादीगण का बटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 05.08.2022 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शों में तस्मी इन्द्रज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 03.06.2022 डिकी का अभिन अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फेसल शुमार होकर दफतर वाखिल हो।



(गोपाल परिहार) RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणा
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

डिकरी बुकदमें इबादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाबा दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीवासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 47 / 2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. खीयाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम 02. वनाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम 03. भवराय पुत्र स्व0 श्री हडमानराम जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. मोतीराम पुत्र स्व0 श्री सालगराम 02. भीयराम पुत्र स्व0 श्री सालगराम जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03. राजस्थान राज्य जासिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 47 / 2014 यह आज मुकदमा वास्ते इन्किलास किलई रु-ब-रु हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 03.06.2022 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकाई में इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार इतर को आदेश दिया जाता है।

नीच..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व बौरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख कसुलयाबी तक..... को अदा करें।

बसील मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत आज तारीख 03/06/2023 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

मुद्दाई	रुपया	पै	मुद्दायलाह	रुपया	पै
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महंतताना वकील खर्चा गवाहान फीस कनिष्कर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफारिक मीजान	रुपया	पै	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महंतताना वकील खर्चा गवाहान फीस कनिष्कर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफारिक	रुपया	पै



(Signature)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी